UPMZ010019562026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी :– गरिमा सिंह–I, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06224

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–51 सन् 2026

सेठपाल पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम नन्हेड़ा, थाना–भोपा, जिला–मुजफ्फरनगर।

..... पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त,

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार,
2. रविन्द्र पुत्र अजब सिंह, निवासी नन्हेड़ा, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर।

..... विपक्षीगण,

निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त सेठपाल की ओर से प्रश्नगत दाण्डिक पुनरीक्षण, वाद संख्या–5354 सन् 2024 'उ.प्र. राज्य बनाम अमित आदि' मु0अ0सं0–300 सन् 2023, धारा–420, 406, 323, 504, 506 भा.दं.सं. थाना भोपा जिला मुजफ्फरनगर के प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त सेठपाल एवं अन्य सहअभियुक्तगण की ओर से स्वयं को उन्मोचित किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–227 दण्ड प्रक्रिया संहिता को विद्वान अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट संख्या–01/न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा निरस्त किए जाने हेतु पारित आदेश दिनांकित 21.01.2026 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

2. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त सेठपाल एवं अन्य सहअभियुक्तगण की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय में स्वयं को उन्मोचित किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.06.2025 अंतर्गत धारा–227 सी.आर.पी.सी. में किए गए कथन इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा रविन्द्र पुत्र अजब सिंह द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा ने दिनांक 27.07.2019 को ग्राम नन्हेड़ा, परगना भोकरहेड़ी, तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर में स्थित भूमि खसरा नं0–503 रकबा 1,5600 हे0 के 1370/15600 भाग (0.1370 हे0) का पंजीकृत अनुबंध भूमि के मालिक अमित कुमार (अभियुक्त) पुत्र नौराज सिंह से

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.07.24 16:52:52 IST
Reason: ORDER IN CRL. REVISION
Location: ADJ COURT NO. 1, MZN

अंकन 6,00,000/–रूपए में तय करके 5,00,000/–रूपए बतौर बयाना अदा करके बैनामे की अंतिम तिथि 24.06.2020 तय हुई थी, परंतु अभियुक्त अमित कुमार द्वारा वादी के हक में बैनामा नहीं करने पर वादी द्वारा न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) मुजफ्फरनगर में दायर किए गए वाद संख्या–217 सन् 2020 रविन्द्र बनाम अंकित (विशिष्ट अनुपालन) की जानकारी अमित कुमार को है, परंतु इसी दौरान अभियुक्तगण नरेश पुत्र धीर सिंह व सेठपाल पुत्र सुखबीर निवासी ग्राम नन्हेड़ा ने अमित से साज करके दिनांक 30.08.2023 को उक्त अनुबंधित जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया। इस प्रकार तीनों अभियुक्तों ने षड़यंत्र किया है। वादी द्वारा दाखिल इकरारनामा से स्पष्ट है कि उसने अभियुक्त अमित से दिनांक 25.07.2019 को उसके ख0नं0–503 रकबई 0.5600 हे0 में से अमित के हिस्से में से 1370/15600 भाग का इकरानामा कराया था और खसरा नं0–503 में मुलजिम अमित का हिस्सा 1/6 भाग यानि 0.2660 हे0 था, जिसमें मुलजिम अमित द्वारा वादी को दिनांक 25.07.2019 को इकरारनामा किए जाने के बाद भी खसरा नं0–503 में शेष बची भूमि 0.2660 हे0–0.1370 हे0 = 0.1370 हे0 में से अभियुक्त अमित ने दिनांक 30.08.2023 को अभियुक्त नरेश व सेठपाल को 0.0683 हे0 का बैनामा किया था। इस प्रकार अभियुक्त अमित के पास खसरा नं0–503 में वादी को इकरारनामा किए जाने के बावजूद 0.1230 हे0 कृषि भूमि शेष बच गयी थी, जिसमें से मुलजिमान नरेश व सेठपाल द्वारा 0.0683 हे0 का बैनामा कराए जाने के बावजूद भी अभियुक्त अमित की खसरा नं0–503 में 0.0547 हे0 भूमि शेष बची गयी थी। इस प्रकार अभियुक्तगण नरेशपाल व सेठपाल को अभियुक्त अमित ने वादी को इकरारनामा की गयी भूमि का बैनाम नहीं किया था। इस प्रकार धारा 420, 406, 323, 504, 506 भा.दं.सं. का कोई अपराध नहीं बनता है। यदि वादी द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैनामा अभियुक्तगण नरेशपाल व सेठपाल के हक में भी किया है, तब भी यह मामला दीवानी प्रकृति का है, जिसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। इन तथ्यों के समान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मितेष कुमार जे शाह बनाम कर्नाटक राज्य 2022 (1) जे.आई.सी. में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है क यदि अपने हिस्से से अधिक भूमि (फ्लैट) का विक्रय भी अभियुक्तगण द्वारा किया गया है, तब यह दीवानी प्रकृति का मामला है, जिसमें धारा 406, 419, 420 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है, अधिक से अधिक संविदा भंग का मामला बनता है। इस दीवानी प्रकृति के विवाद

को जल्दी रिलीफ पाने के उद्देश्य से आपराधिक मामले का रंग दिया गया है, जिस कारण आपराधिक मामले को निरस्त किया गया। उपरोक्त मामला भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिद्धांत के अनुरूप ही एक दीवानी प्रकृति का मामला है। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी आपराधिक धारा के अंतर्गत अपराध नहीं बनने के कारण अभियुक्तगण को डिस्चार्ज किए जाने की प्रार्थना की गयी।

3. उपरोक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध वादी/अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आपत्ति दिनांकित 19.12.2025 में किए गए कथन इस प्रकार हैं कि खिलाफ कानून व वाकात दिया गया प्रार्थनापत्र किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य नहीं है। वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल सही लिखायी है और उनके विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। अभियुक्त अमित द्वारा दिया गया जमानत प्रार्थनापत्र सेशन न्यायालय द्वारा भी निरस्त किया गया था और सेशन न्यायालय द्वारा दी गयी फाईंडिंग में वादी मुकदमा के हक में किए गए पंजीकृत इकरारनामा को सही माना। सही दायर किया गया वाद संख्या–217 सन् 2020 'रविन्द्र बनाम अमित न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) जानसठ के न्यायालय में विचाराधीन है। अभियुक्तगण की आपस में एक–दूसरे से साज है और वे आपस में एक–दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार उक्त व अन्य आधारों पर प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।

4. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त सेठपाल एवं अन्य सहअभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–227 दण्ड प्रक्रिया संहिता निरस्त किए जाने हेतु पुनरीक्षण हाजा से आच्छादित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.01.2026 से क्षुब्ध होकर, यह दाण्डिक पुनरीक्षण योजित किया गया है।

5. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में किए गए संक्षिप्तः कथन इस प्रकार हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय का विवादित आदेश कानून एवं तथ्यों के विपरीत है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किए बिना ही पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। रिवीजनकर्ता एवं अन्य अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप निर्मित किए जाने का कोई मामला प्रथम दृष्टया भी नहीं बनता है। विचारण न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, वाद के तथ्यों का सही अवलोकन नहीं किया है। अभियुक्त अमित ने इकरारनामा की गयी भूमि

का बैनामा रिवीजनकर्ता व एक अन्य अभियुक्त नरेश के हक में नहीं किया है, बल्कि इकरारनामा से शेष बची हुई भूमि का बैनामा अभियुक्त अमित ने किया है। इस प्रकार अभियुक्तगण के खिलाफ कोई आपराधिक मामला अंतर्गत धारा–323, 420, 406, 504, 506 भा.दं.सं. नहीं बनता है और यदि अभियुक्त अमित द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैनामा रिवीजनकर्ता व नरेशपाल के हक में भी कर दिया है, तब भी मामला दीवानी प्रकृति का बनता है, अधिक से अधिक संविदा भंग का मामला बनता है। विद्वान विचारण ने रिवीजनकर्ता का प्रार्थनापत्र खारिज करके अपने निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विवादित आदेश पारित किया है। इस प्रकार पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त सेठपाल द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण को स्वीकार करके एवं आलोच्य आदेश दिनांकित 21.01.2026 को निरस्त करके प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–227 सी.आर.पी.सी. स्वीकार करने एवं अभियुक्तगण को डिस्चार्ज किए जाने हेतु समुचित आदेश पारित किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

6. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त द्वारा अपने समर्थन में शपथपत्र का0सं0–4ख/1 के साथ प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–227 सी.आर.पी.सी. की छायाप्रति का0सं0–4ख/2 ता 4ख/4, विपक्षी सं0–2/वादी रविन्द्र की ओर से प्रस्तुत आपत्ति की छायाप्रति का0सं0–4ख/5, मु.अ.सं.–300 सन् 2023 धारा–420, 406 भा.दं.सं. थाना–भोपा से संबंधित चिक एफ.आई.आर. की छायाप्रति का0सं0–4ख/6 ता 4ख/8, हिस्सा प्रमाण–पत्र की छायाप्रति का0सं0–4ख/9, खतौनी की छायाप्रति का0सं0–4ख/10 ता 4ख/12, अनुबंध–पत्र/इकरारनामा की छायाप्रति का0सं0–4ख/13 ता 4ख/19, बैनामा दिनांकित 30.08.2023 की छायाप्रति का0सं0–4ख/20 ता 4ख/28 तथा आलोच्य आदेश दिनांकित 21.01.2026 की सत्यापित प्रतिलिपि का0सं0–5ख/1 ता 5ख/3 प्रस्तुत किए गए हैं।

7. विपक्षी सं0–2 रविन्द्र की ओर से प्रस्तुत **आपत्ति का0सं0–10ख** में यह कथन किया गया है कि रिवीजन खिलाफ कानून व खिलाफ वाकात दायर किया गया है जो किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य नहीं है। रिवीजन केवल सेठपाल द्वारा दायर किया गया है, जबकि मुकदमे में अन्य पक्षकार भी हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर सेठपाल आदि के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और अमित कुमार सहअभियुक्त द्वारा रिवीजनकर्ता व नरेश के हक में बैनामा किया गया है, जबकि रेस्पोन्डेन्ट रविन्द्र के हक में किए हुए इकरारनामे का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जिसकी जानकारी रिवीजनकर्ता व नरेश व

अमित को है और इसके बावजूद भी उन्होंने सम्पत्ति का बैनामा कराया है। ये सब लोग एक–दूसरे की मदद करते हैं और इन्होंने अपराध किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा डिस्चार्ज प्रार्थनापत्र पर सही प्रकार से पारित किया गया आदेश हर प्रकार से स्थिर रहने योग्य है। अमित कुमार द्वारा अपने हिस्से की समस्त भूमि विक्रय की हुई है और कोई भूमि शेष नहीं है। उक्त एवं अन्य कारण से रिवीजन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

8. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की ओर से अपने कथनों के समर्थन में विधि व्यवस्था – मितेश कुमार जे. शाह बनाम कर्नाटक राज्य 2022(1) जे.आई.सी. 9 (एस.सी.) प्रस्तुत की गयी है।

9. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0–1 की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता 'फौजदारी' तथा विपक्षी सं0–2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। तलबशुदा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

10. निगरानीकर्ता के द्वारा यह आधार लिया गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता है तथा यदि अभियुक्त अमित द्वारा अपने हिस्से से अधिक की भूमि का बैनामा निगरानीकर्ता व सहअभियुक्त नरेशपाल के हक में कर भी दिया गया है, तब भी मामला दीवानी प्रकृति का बनता है।

11. विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि वादी के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि वादी के द्वारा अभियुक्त अमित से उसकी भूमि क्रय किए जाने का इकरारनामा निष्पादित कर पंजीकृत कराया गया है, परन्तु अभियुक्त अमित ने इकरारनामें की शर्तों के अनुरूप वादी के पक्ष में बैनामा नहीं किया तथा जब वादी ने संविदा के विनिर्दिष्ट अनुतोष हेतु सिविल न्यायालय में वाद योजित कर दिया तो अभियुक्त अमित ने वादी की धनराशि हड़पने के उद्देश्य से सहअभियुक्तगण सेठपाल व नरेश के हक में प्रश्नगत भूमि का बैनामा कर दिया। विवेचना के उपरान्त, विवेचक के द्वारा अभियुक्त अमित के विरुद्ध धारा 420, 406, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 तथा अभियुक्तगण नरेश व सेठपाल के विरुद्ध केवल धारा 420 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

12. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में यह अभिमत दिया गया है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध इस स्तर का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जा सके। यद्यपि आरोप विरचन के स्तर पर कवेल प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद होना पर्याप्त है, परन्तु आरोप विरचित करते समय न्यायालय को यह दृष्टिगत रखना होता है कि जिन धाराओं में आरोप विरचित किया जा रहा है, उन धाराओं के अन्तर्गत, आरोप विरचित किए जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है अथवा नहीं। आलोच्य आदेश में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की गयी है कि किस अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया क्या साक्ष्य विवेचक द्वारा एकत्र किया गया है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय विधि **SIEMENS ENGINEERING & MANUFACTURING CO. Vs. UNION OF INDIA AIR 1976 SC 1785** तथा **STATE OF ORISSA Vs. DHANIRAM LUHAR AIR 2004 SC 1794** के मामले में इस सिद्धान्त पर बल दिया गया है कि–''न्यायिक आदेश तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए, जिसका अर्थ है यह एक स्व–व्याख्यात्मक निर्णय है जो स्पष्ट रूप से मुख्य तथ्यों, ठोस तर्कों और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ठोस कानूनी कारणों को बताता है।''

14. आलोच्य आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस अभियुक्त के विरुद्ध किन धाराओं में आरोप विरचित किए जाने के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। आदेश में दिए गए निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए न्यायालय ने किन–किन साक्ष्यों को प्रथम दृष्टया दृष्टिगत रखा है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आलोच्य आदेश में विद्वान न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया है कि विवेचक के द्वारा विवेचना उपरान्त आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 420, 406, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 अभियुक्तगण अमित, नरेश व सेठपाल के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जबकि अभियुक्त अमित व सहअभियुक्तगण नरेश व सेठपाल के विरुद्ध केवल धारा 420 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आलोच्य आदेश में इस तथ्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट न करते हुए तीनों अभियुक्तगण के विरुद्ध समान रूप से आदेश पारित कर दिया गया है।

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **DELHI RACE CLUB (1940) LTD. & ORS. Vs. STATE OF UTTAR PRADESH & ANR., (2024) 10 SCC 690** के मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है

कि–"The distinction between mere breach of contract and the offence of criminal breach of trust and cheating is a fine one. In case of cheating, the intention of the accused at the time of inducement should be looked into which may be judged by a subsequent conduct, but for this, the subsequent conduct is not the sole test. Mere breach of contract cannot give rise to a criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention is shown right from the beginning of the Criminal Appeal No. 3114 of 2024 Page 24 of 31 transaction i.e. the time when the offence is said to have been committed. Therefore, it is this intention, which is the gist of the offence. Whereas, for the criminal breach of trust, the property must have been entrusted to the accused or he must have dominion over it. The property in respect of which the offence of breach of trust has been committed must be either the property of some person other than the accused or the beneficial interest in or ownership' of it must be of some other person. The accused must hold that property on trust of such other person. Although the offence, i.e. the offence of breach of trust and cheating involve dishonest intention, yet they are mutually exclusive and different in basic concept. There is a distinction between criminal breach of trust and cheating. For cheating, criminal intention is necessary at the time of making a false or misleading representation i.e., since inception. In criminal breach of trust, mere proof of entrustment is sufficient. Thus, in case of criminal breach of trust, the offender is lawfully entrusted with the property, and he dishonestly misappropriated the same. Whereas, in case of cheating, the offender fraudulently or dishonestly induces a person by deceiving him to deliver any property. In such a situation, both the offences cannot co-exist simultaneously."

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि–व्यवस्थाओं में धारा 420 व 406 भारतीय दण्ड़ संहिता के अन्तर्गत प्राविधानित अपराधों के संबंध में व्याख्या करते हुए, दोनों अपराधों के मध्य सूक्ष्म अन्तर को उजागर किया है तथा उन परिस्थितियों को भी उजागर किया है, जहां पर धारा 406 व धारा 420

भा0दं0सं0 का अपराध, एकसाथ कारित होना नहीं पाया जा सकता।

17. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अमित के विरुद्ध अन्य धाराओं के अतिरिक्त धारा 406 व 420 भा0दं0सं0 में भी आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। आलोच्य आदेश में इस संबंध में भी कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि प्रस्तुत मामाले के तथ्य एवं परिस्थितियों में धारा 406 भा0दं0सं0 व 420 भा0दं0सं0 दोनों का अपराध एकसाथ बनना परिलक्षित हो रहा है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश के माध्यम से जिस प्रार्थना पत्र के संबंध में आदेश पारित किया गया है, उसका कागज संख्या अथवा प्रस्तुत करने का दिनांक भी आलोच्य आदेश में वर्णित नहीं किया गया है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र किन–किन अभियुक्तगण की ओर से योजित किया गया है, यह भी आदेश में स्पष्ट नहीं है।

18. उपर्युक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त विधिक सिद्धान्त के आलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि विचारण न्यायालय, अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट संख्या–01/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा आलोच्य आदेश दि0 21.01.2026 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि व तात्विक अनियमितता कारित की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने एवं प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता 'सेठपाल' की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–51 सन् 2026, सेठपाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय, अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या–01/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 21.01.2026 अपास्त किया जाता है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दाण्डिक निगरानी में की गयी चर्चा व दिए गए निष्कर्ष के प्रकाश में पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश की एक प्रति तलबिदा पत्रावली के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए। पक्षकार विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2026 को उपस्थित हो।

तद्पोरान्त निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांकः–24.07.2026

(गरिमा सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी06224

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांकः–24.07.2026

(गरिमा सिंह–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।
जे0ओ0 कोड–यू0पी06224